0रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1488] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 13, 2015/आषाढ़ 22, 1937
No. 1488] NEW DELHI, MONDAY, JULY 13, 2015/ASHADHA 22, 1937

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2015

का.आ. 1881(अ).—केंद्रीय सरकार, माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) की धारा 44 के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान होने पर कि पारस्परिक उपबंध किए गए हैं, रिपब्लिक ऑफ मारीशस को उस राज्य क्षेत्र के रूप में घोषित करती है, जिसको उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में दी गई विदेशी माध्यस्थम पंचाटों की मान्यता और प्रवर्तन पर कन्वेंशन, 11 अक्तूबर, 1960 को या उसके पश्चात् उस धारा में निर्दिष्ट प्रकृति के किसी पंचाट के प्रयोजन के लिए लागू होती है।

[फा. सं. 29(5)/2014-न्यायिक]

सुरेश चंद्रा, संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2015

S.O. 1881(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Section 44 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (26 of 1996), the Central Government, being satisfied that reciprocal provisions have been made, hereby declares the Republic of Mauritius to be a territory to which the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, set forth in the First Schedule to the said Act, applies for the purpose of any award of the nature referred to in that section on or after the 11th day of October, 1960.

[F. No. 29(5)/2014-Judl]

SURESH CHANDRA, Jt. Secy. and Legal Adviser

3076 GI/2015

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.